**प्रेस विज्ञप्ति**

कानूनी नोटिस पर और प्रवासी श्रमिकों के साथ वर्तमान कथित घटना पर आईआईएमए का बयान

**21 मई, 2020 | अहमदाबाद :** हमें एडवोकेट आनंद याग्निक ने कानूनी नोटिस दिया है। नोटिस में उठाए गए मुद्दे जाँच की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं और फिर भी इसे नोटिस में उल्लिखित विवरण की सत्यता की परवाह किए बिना लोगों और प्रेस द्वारा प्रसारित किया जा रहा है।

नोटिस में निम्नलिखित दावे किए गए हैं :

● प्रमुख नियोक्ता के रूप में, आईआईएमए ने पिछले दो महीनों से प्रवासी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया है।

* हम किसी को भी आमंत्रित करते हैं जो इस बारे में रिकॉर्ड की जाँच करने के लिए इच्छुक है। हम पर दिखाए गए सभी बिल हमारे \*परियोजना प्रबंधन परामर्शक, \*परियोजना के आर्किटेक्ट, और हमारे अंदरूनी परियोजना प्रबंधक/इंजीनियर द्वारा प्रमाणन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और फिर भुगतान किए जाते हैं। हमने सत्यापित किया है कि श्रमिकों को सभी देय भुगतान किए गए हैं। जिस दिन हम तक कानूनी नोटिस पहुँचाई गई उस तारीख से पहले के कोई लंबित बिल नहीं हैं।

● आईआईएमए और ठेकेदार नहीं चाहते हैं कि प्रवासी श्रमिक अपने मूल राज्यों में वापस जाएँ ताकि जैसे ही लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दी जाए, वे तुरंत निर्माण कार्य फिर से शुरू कर सकें ताकि उनकी परियोजना पूरी होने की समय सीमा तक पहुँच पाए।

* निर्माण गतिविधि पर प्रतिबंध 15 अप्रैल को हटा दिया गया था और साइट को सैनिटाइज़ करने के बाद और श्रमिकों के स्वास्थ्य की जाँच के बाद 21 अप्रैल से चरण वार नवीनीकृत की गई थी। मई की शुरुआत में एक बार सरकार ने अपनी मंशा और विशेष ट्रेनों की घोषणा की, जिससे प्रवासियों को अपने गृहराज्य के घरों में लौटने की अनुमति दी जा सके और श्रमिकों ने काम जारी न रखने के लिए रुचि व्यक्त की। श्रमिकों की इच्छा के मद्देनजर 7 मई तक निर्माण स्थल पर काम बंद कर दिया गया। श्रमिकों के स्वगृहगमन के लिए ठेकेदार ने प्रशासन के साथ समन्वय किया। यू.पी. और बिहार के कामगारों को ट्रेनें प्रदान की गईं लेकिन दुर्भाग्य से सार्वजनिक प्राधिकरण ने झारखंड और पश्चिम बंगाल को ट्रेनों की व्यवस्था नहीं की। कानूनी नोटिस में जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है उस मामले से विपरीत श्रमिकों की भलाई में हमारी रुचि है।

● 28 अप्रैल से आज तक बार-बार अनुरोध के बावजूद न तो आईआईएम या न ही ठेकेदार ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के श्रमिकों के वापसी की कोई व्यवस्था की है।

* जो इस बयान को मानते हैं उन्हें हम आमंत्रित करते हैं कि वे आएँ और सार्वजनिक प्राधिकरणों को दिए गए हमारे आवेदनों की जाँच करें और कामगारों को अपने गृहराज्यों में लौटने की अनुमति के उद्देश्यों के लिए की गई इस प्रक्रिया को देख लें।

● झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा पहले से ही प्रदान किए गए काम के लिए न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है और काफी राशि देय है।

* यह भी बेबुनियाद बयान है। सत्यापन के लिए हमारे रिकॉर्ड खुले रखे हैं।

● गर्मियों में शहर में जितना तापमान रहता है उसमें श्रमिकों को प्रदान किया जाने वाला आवास अमानवीय है और जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे श्रम कानूनों का उल्लंघन करती हैं।

* हम आपको उस साइट पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहाँ श्रमिकों को रखा जाता है। इस स्थान में ऐसी कॉलोनियों के लिए आवश्यक सभी सुविधाएँ हैं जैसे कि आरओ पानी, शिशुगृह, स्वच्छता सुविधाएँ, बिजली / पंखे और परिवारों व कुंवारों के लिए आवास की अलग-अलग पंक्तियाँ। आवधिक स्वास्थ्य जाँच के लिए एक चिकित्सक की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

● पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए श्रमिकों में से दो को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना है। यह आरोप लगाया गया है कि परीक्षण कार्यकर्ताओं के समक्ष विधिवत रूप से हमारे द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

* स्वास्थ्य अधिकारियों ने उस सुविधा प्रबंधन का दौरा किया है जहाँ कामगार रह रहे हैं और पिछले दो महीनों के दौरान नमूने ले चुके हैं। ये परीक्षण नेगेटिव निकले। कोई भी प्रारंभिक लक्षण जैसे बुखार, खाँसी, आदि के साथ लोग कुछ समय के लिए लक्षणहीन हो सकते हैं। श्रमिकों की ऐसे लक्षणों के लिए नियमित रूप से जाँच की गई थी और किसी को भी सूचित नहीं किया गया था। यदि जैसा कि बताया जा रहा है कि दो श्रमिकों को पॉज़िटिव पाया गया है, तो ठेकेदार अन्य श्रमिकों के अलगाव और संगरोध/क्वारंटाइन के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है, उसका अनुपालन करेगा।

* हमारा मानना ​​है कि हमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और श्रमिकों के लिए हम उचित व्यवहृत हैं। अगर किसी भी तरह से हमारे हिस्से में कोई कमी आई है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को सुधार कर और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम अपील करते हैं कि कानूनी नोटिस के जरिये हमें बदनाम करने के बजाय, उन कामगारों को लाभान्वित करना चाहिए, जिसे हम सभी सकारात्मक रूप से प्रभावित करना चाहते हैं, और इन तथ्यों की जाँच की जाए, परिस्थितियों को समझा जाए, और उसके बाद ही इस मामले को उस तरह से उठाया जाए जिस तरह से अभी है।
* निर्माण स्थल पर श्रमिकों की अशांति मजदूरी के भुगतान और आवासीय स्थिति के बारे में नहीं है, लेकिन यात्रा परमिट प्राप्त करने में देरी और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा परिवहन की व्यवस्था के बारे में हैं, उन्हें अपने गृह राज्यों में वापस ले जाने के बारे में है। हम ऐसा करने के लिए अपनी ओर से जो संभव है वह करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

-------------- विषयांत ---------

*मीडिया प्रश्नों के लिए, कृपया संपर्क करें :*

**दीपक भट्ट**

**प्रबंधक, संचार**

दूरभाष : सेल) +91-9426229429, (कार्यालय) +91-79-7152 4683,

ईमेल : mngr-comm@iima.ac.in

**मिताली नायडू**

**कार्यकारी, जनसंपर्क**

दूरभाष : (सेल) +91-7069074816, (कार्यालय) +91-79-7152 4684,

ईमेल : pr@iima.ac.in